न्यायालय–अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कबीरधाम, (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वर्णलता टोप्पो)

दावा प्रकरण क्रमांक –01/2018

संस्थित दिनांक–07-11-2017

नंदलाल साहू आ. सहदेव साहू,

उम्र–53 वर्ष, पेशा–कृषि एवं मवेशी रोजगारी,

निवासी ग्राम–अलना, थाना गढ़ी,

तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) ....आवेदक

– विरूद्ध –

1. सुबेलाल उइके आ. सोमसिंग उइके,

उम्र 35 वर्ष, पेशा–ड्रायव्हरी,

निवासी वार्ड नं.–8 भीमा बैहर,

थाना मलाजखण्ड, तहसील बिरसा,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

2. शेख अहमद आ. शेख अब्दुल,

मुस्लमान, उम्र–52 वर्ष,

निवासी वार्ड नं.–20 भीमाजोरी,

थाना मलाजखण्ड, तहसील बिसरा,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

3. दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

आकाश गंगा परिसर, सुपेला भिलाई (छ.ग.)

(महिन्द्रा स्कार्पियों एम.पी.–50–टी.–0339

का बीमाकर्ता) .... अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री जनकराम सिन्हा अधिवक्ता ।

अनावेदक क्रमांक–1 व 2 द्वारा श्री राजेश सोनी अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक–3 द्वारा श्री श्रेयस वर्मा अधिवक्ता।

– अधिनिर्णय –

(आज दिनांक 29.10.2019 को पारित)

1- आवेदक की ओर से यह दावा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–166 मोटर यान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन वाहन महिन्द्रा स्कार्पियों क्र.–एम.पी.–50–टी.–0339 से दुर्घटना होने के परिणामस्वरूप पहुंची क्षति के लिए कुल 4,55,000 / –रूपये क्षतिपूर्ति प्राप्त किये जाने के लिये प्रस्तुत किया गया है।

2- का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि दुर्घटना दिनांक 28.02.2016 को नन्दलाल ग्राम मुड़िया से करीब 01:00 बजे अपने गांव सोल्ड मोटरसायकल से जा रहा था कि चिल्फी से करीब 04 किलोमीटर पहले चिल्फी घाटी के पास पहुंचा था कि चिल्फी तरफ से एक स्कार्पियों क्र.–एम.पी.–50–टी.–0339 के चालक अनावेदक क्र.–1 सुबेलाल द्वारा तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये सामने से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे आवेदक मोटरसायकल सहित

रोड पर गिर गया जिससे आवेदक के मुंह, दांत, होंठ, कमर एवं दांहिने पैर के घुटने में गंभीर चोट आया वहां उपस्थित मित्र केशकाल, तुपेन्द्र उठाये और थाना में रिपोर्ट किये और तत्काल शासकीय अस्पताल चिल्फी में ले जाकर भर्ती किये। शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोड़ला के डॉक्टर ने आवेदक के जांच कर बताया कि आहत के मुंह, दांत, होंठ तथा दांहिने पैर के घुटना में गंभीर चोट आया है जिसको देखते हुये तत्काल रिफर कर दिया तब आवेदक के परिवार वालों ने आवेदक के उचित ईलाज हेतु हायर–सेंटर में ले जाकर भर्ती किये जहां पर आवेदक का डॉक्टर ने शरीर पर आयी चोट का मुलाहिजा एक्सरे, सोनोग्राफी एवं अन्य मशीनरी द्वारा जांच कर आपरेशन व अन्य उपचार लगभग 09–10 दिन तक आवेदक को अस्पताल में भर्ती रखकर ईलाज किया गया है आवेदक को अपने ईलाज व आपरेशन के मद में डॉक्टर की फीस, बेड चार्ज इत्यादि के मद में लगभग 80,000/–रू0 खर्च हो गया है तथा बाहर मेडिकल से दवाई खरीदी करने में लगभग 20,000/–रू0 का अतिरिक्त राशि खर्च करना पड़ा। आवेदक अपने

परिवार का एक मात्र कमाउ सदस्य था जो लेवर का काम कर 250 / –रू0 प्रतिदिन अर्जित कर लेता था परंतु इस दुर्घटना में आयी दांहिने पैर की चोट के कारण भारी वजनीय काम कर ही नहीं सकता है जिसके कारण उनके परिवार के समक्ष भरण पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है तथा आवेदक के मुंह के उपर भाग के दांत स्थायी रूप से टूट गया है इस कारण बोलने में भी असुविधा हो रही है। आवेदक को ईलाज के दौरान सेवा सुश्रुवा, पौष्टिक आहार, फल, दुध, जूस व अन्य तरल पौष्टिक एवं परिचर्य के मद में अतिरिक्त राशि खर्च करना पड़ा है तथा ईलाज के दौरान एक व्यक्ति निरंतर देखरेख में लगे हुये जिससे आर्थिक क्षति हुई है। उक्त दुर्घटना से आवेदक को हुई क्षति का मौद्रिक आंकलन असंभव है। आवेदक ने क्षतिपूर्ति राशि कुल 4,55,000 / –रू0 अनावेदकगण से संयुक्तः अथवा पृथक–पृथक दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3- अनावेदक क्रमांक– 1 एवं 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर आवेदक के आवेदन के समस्त कथनों को अस्वीकार करते हुए

कथन किया गया है कि आवेदक अपने स्वयं की मोटरसायकल को बिना अनुज्ञप्ति धारक के रूप में अपने अलावा दो अन्य लोगों को पीछे बैठाकर चिल्फी घाटी में तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक परिचालित कर रहा था जिसके कारण उक्त घटना घटित हुई थी जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार है। घटना दिनांक एवं समय को आवेदक स्वचालित मोटर सायकल में दो अन्य लोगों को बैठाकर चिल्फी घाटी जैसी मोड़ वाली जगह पर अपनी मोटर सायकल को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार है परंतु अपने आवेदन को स्थापित करने के उद्देश्य से आवेदक द्वारा इस कंडिका में वर्णित अनुसार झूठा कथन किया है। उक्त घटना आवेदक की लापरवाही से हुई है, अनावेदक क्र.—1 घटना दिनांक को वैध अनुज्ञप्तिधारी चालक है तथा अनावेदक क्र.—2 प्रश्नास्पद वाहन का पंजीकृत स्वामी है। उक्त प्रश्नास्पद वाहन घटना दिनांक को अनावेदक क्र.—3 बीमा कंपनी द्वारा समस्त जोखिम सहित बीमा से आच्छादित था। उपरोक्त कारणों से आवेदक क्षतिपूर्ति प्राप्त

करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब के परिप्रेक्ष्य में इस अनावेदकगण को दावा से मुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

4- अनावेदक क्रमांक–3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर आवेदक के आवेदन के समस्त कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया गया है कि दुर्घटना दो वाहन के एक–दूसरे के विपरीत दिशा में चलायमान अवस्था में आमने–सामने टक्कर होने के फलस्वरूप घटित हुई है आवेदक द्वारा अपना ड्रायविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वह बिना ड्रायविंग लाइसेंस के मोटर सायकल चला रहा था जो आवेदक की स्वतः की लापरवाही को दर्शाता है इसलिये आवेदक कोई क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी नहीं है। विकल्प में अनावेदक क्र.–1 के पक्ष में योगदायी उपेक्षा का सबल प्रकरण बनता है। यह भी निवेदन है कि दो वाहन के टक्कर के मामले में दोनों वाहन के चालक स्वामी व बीमा कंपनी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होते हैं, जबकि आवेदक ने अपने मोटर सायकल के स्वामी व बीमा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः प्रकरण में पक्षकारों के

असंयोजन का दोष व्याप्त है, अस्तु दावा निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक को शासकीय अस्पताल बोड़ला से जिला अस्पताल कवर्धा रिफर किया गया था इसके अलावा आवेदक को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती रहकर ईलाज व ऑपरेशन करने संबंधी कथन असत्य एवं बनावटी है जो मात्र अधिक से अधिक क्षतिपूर्ति राशि पाने के लिये असत्य रूपेण किया गया है। आवेदक को दुर्घटना में स्थायी अपंगता आई हो ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। घटना दिनांक व समय को प्रश्नगत वाहन को पंजीयन, परमिट, फिटनेस व पॉलिसी की शर्तों के अधीन अनावेदक क्र.–1 द्वारा अनावेदक क्र.–2 के सेवानियोजन काल में वैध एवं प्रभावशील ड्रायविंग लाइसेंस के साथ चलाया जा रहा था जो इस प्रकरण में दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं है इसलिये बीमा शर्तों का उल्लघंन हुआ है। अतः यह अनावेदक क्षतिपूर्ति हेतु दायित्वाधीन नहीं है। अतः प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5- उभयपक्ष के अभिकथनों के आधार पर इस अधिकरण द्वारा निम्नांकित वादप्रश्नों की विरचना की गई है, जिनके समक्ष उनके निष्कर्ष अंकित किए जा रहे हैं—

कं.	**वादप्रश्न**	**निष्कर्ष**
1.	क्या दुर्घटना दिनांक 28.02.2016 को समय लगभग 02:30 बजे एन.ए. 30 चिल्फी घाटी मोड़ के पास, थाना चिल्फी, जिला—कबीरधाम छ0ग0 में अनावेदक क.—01 ने प्रश्नगत वाहन महिन्द्रा स्कार्पियों क.—एम.पी.— 50 टी. —0339 को उपेक्षा व लापरवाही से चलाया जिसके कारण आवेदक नन्दलाल साहू को गंभीर उपहति / स्थायी अपंगता कारित हुई?	''प्रमाणित''
2.	क्या आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः 4,55,000 / — रूपये क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है?	''अनावेदक क.— 1 एवं 2 से कुल 45,199 / — रुपये क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की हकदार हैं''

3.	सहायता एवं वाद व्यय?	अधिनिर्णय की कंडिका–''25'' के अनुसार दावा आंशिक रूप से स्वीकृत।

– विवेचना एवं निष्कर्ष –

वादप्रश्न क्रमांक–1 पर निष्कर्ष एवं उसके आधार :–

6- आवेदक का कथन है कि दुर्घटना दिनांक 28.02.2016 को वह ग्राम मुड़िया से करीब 01:00 बजे अपने गांव सोल्ड मोटरसायकल से जा रहा था कि चिल्फी से करीब 04 किलोमीटर पहले चिल्फी घाटी के पास पहुंचा था कि चिल्फी तरफ से स्कार्पियों क्र.– एम.पी.–50 –टी.–0339 के चालक अनावेदक क्र.–1 सुबेलाल द्वारा तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये सामने से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे आवेदक मोटरसायकल सहित रोड पर गिर गया और उसके मुंह, दांत, होंठ, कमर एवं दांहिने पैर के घुटने में गंभीर चोट आयी, तब

वहां उपस्थित मित्र केशकाल, तुपेन्द्र उसे उठाये और थाना में रिपोर्ट किये और तत्काल शासकीय अस्पताल चिल्फी में ले जाकर भर्ती किये।

7- आगे कथन किया है कि शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोड़ला के डॉक्टर ने उसकी जांच कर बताया कि मुंह, दांत, होंठ तथा दांहिने पैर के घुटना में गंभीर चोट आया है जिसको देखते हुये तत्काल रिफर कर दिया तब आवेदक के परिवार वालों ने आवेदक के उचित ईलाज हेतु हायर–सेंटर रायपुर निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती किये जहां पर आवेदक का डॉक्टर ने शरीर पर आयी चोट का मुलाहिजा एक्सरे, सोनोग्राफी एवं अन्य मशीनरी द्वारा जांच कर आपरेशन व अन्य उपचार लगभग 09–10 दिन तक आवेदक को अस्पताल में भर्ती रखकर ईलाज किया गया है।

8- आवेदक के द्वारा उपरोक्त कथन एवं तथ्यों के समर्थन में दांडिक प्रकरण क.–267 / 2016 के अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श ए.–1, प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श ए.–2, डॉक्टरी मुलाहिजा प्रदर्श ए.–3, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श ए.–4, अपराध विवरण प्रदर्श ए.–5, संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श

ए.–6, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श ए.–7, वाहन मैकेनिकल मुलाहिजा प्रदर्श ए.–8, विनय मेडिकल पोड़ी से खरीदी गई दवाई का बिल प्रदर्श ए.–9 प्रस्तुत किया है।

9- अनावेदक क 1 व 2 ने प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना के तथ्य से इंकार किया है और यह कथन किया है कि आवेदक दो अन्य लोगों को बिठाकर स्वयं की लापरवाही से अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था । आगे थाना चिल्फी के द्वारा उनके विरूद्ध झूठी रिपोर्ट के आधार पर मामला पंजीबद्ध किये जाने का बचाव लिया है ।

10- आवेदक नंदलाल ने स्वंय का परीक्षण न्यायालय में कराया है, और प्रश्नगत वाहन चालक सुबेलाल द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुये उसकी साईड में आकर ठोकर मारना बताया है । उसने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि उस वक्त उसके वाहन में तीन सवारी थे और इसी वजह से तथा उसकी लापरवाही के कारण दुर्घटना घटित हुई थी । आगे उसने यह भी कथन किया है कि उसने प्रष्नगत वाहन चालक को घटना के समय देखा था । उसने

अनावेदक के सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना के पश्चात् उसे शासकीय अस्पताल बोड़ला और उसके पश्चात् कवर्धा अस्पताल ले जाया गया था। बाद में रायपुर के निजी अस्पताल में ईलाज कराना स्वीकार किया है। आगे इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने क्षतिपूर्ति पाने के लिए प्रश्नगत वाहन के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया है। इस तरह साक्षी के प्रतिपरीक्षण में दुर्घटना के तथ्यों के संबंध में कोई खंडन नहीं हुआ है ।

11- अनावेदक क्र. 1 सूबेलाल ने स्वंय को परीक्षण न्यायालय में कराया है, जिसका कहना है कि दुर्घटना तिथि को उसके पास चालन अनुज्ञप्ति थी, जिसकी मूल प्रदर्श एन.ए.–1 है और छायाप्रति प्रदर्श एन.ए.–1सी है। आगे कथन किया है कि दिनांक 28.02.2016 को वह ग्राम बैहर तरफ से कवर्धा स्कार्पियो क्रमांक एम. 50 टी. 0339 से आ रहा था, तब मोतीनाला तरफ उसे दो लोग मिले तो उसने गाडी खाली आ रही थी, इसलिए उन्हें बिठाकर ला रहा था । तभी बोडला थाना में चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे रोककर कागजात मांगे और

उसे जमा करते हुये कहने लगे की तुमने एक्सीडेंट किया है, तब उसने अपने मालिक को घटना के बारे में बताया और बाद में चिल्फी थाना से उक्त गाडी को सुर्पुदनामे पर प्राप्त किया था ।

12- आगे कथन किया है कि उसके वाहन से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई थी परंतु प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि इस मामले से संबंधित दुर्घटना के संबंध में उसके विरूद्ध मामला चल रहा है और उसके मुख्यपरीक्षण से ही दर्शित हो रहा है कि घटना दिनांक 28.02.2016 को वह प्रश्नगत वाहन का चालन करते हुये बैहर की तरफ से कवर्धा आ रहा था । इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत वाहन का चालन दुर्घटना तिथि को अनावेदक क्र. 1 कर रहा था और पुलिस चिल्फी के द्वारा उसकी विरूद्ध मामला दर्ज किया गया था ।

13- आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गये अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श ए–1 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श ए–2 के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि प्रश्नगत वाहन चालक के विरूद्ध दुर्घटना तिथि 28.02.2016 को घटित दुर्घटना के संबंध में तत्काल थाना चिल्फी में

रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी और सूचनाकर्ता स्वंय आवेदक है तथा प्रदर्श ए–6 के अनुसार अनावेदक क्र. 1 से प्रश्नगत वाहन जप्त किया गया था तथा प्रदर्श ए–8 के मैकेनिकल मुलाहिजा के अवलोकन से स्पष्ट दर्शित होता है कि प्रश्नगत स्कार्पियो वाहन का हेड लाईट, बोनट मडगार्ड एवं सामने का कव्हर क्षतिग्रस्त हालत में पाया गया था । अतः इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा प्रश्नगत वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चालन करते हुये आवेदक को दुर्घटना कारित किया गया था ।

14- आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रदर्श ए–3 एवं प्रदर्श ए–4 के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप आवेदक को Upper Maxilla में अस्थि भंग था, जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोट आयी थी। अतः प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि अनावेदक क्र.–1 के द्वारा प्रश्नगत वाहन को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चालन किये जाने के परिणामस्वरूप

हुये दुर्घटना में आवेदक को गंभीर चोट आयी थी । अतः वादप्रश्न क्र.–1 का निष्कर्ष **"प्रमाणित"** में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक–2 पर निष्कर्ष एवं उसके आधार :–

15- इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं कि दुर्घटना तिथि 28.02.2016 को आच्छादित करते हुये प्रश्नगत वाहन दिनांक 31.03.2015 से 30.03.2016 तक की अवधि के लिए अनावेदक क्र. 3 के द्वारा पैसेजर केयेरिंग कार्मिशियल व्हीकल के रूप में वाहन स्वामी शेख अहमद निवासी बैहर बालाघाट के पक्ष में बीमित थी जिसका पॉलिसी नंबर 321602/31/14/6300011803 है।

16- अब यह देखना है कि क्या प्रश्नगत वाहन का चालन अनावेदक क्र. 1 एव 2 के द्वारा बीमा के शर्तो के उल्लघंन में किया जा रहा था ? इस संबंध में अनावेदक क्र. 3 के साक्षी कलदियुस टोप्पो का कहना है कि दुर्घटना तिथि को प्रश्नगत वाहन का परमिट एवं फिटनेश प्रभावी नहीं था । इसलिए दाण्डिक प्रकरण में उक्त दस्तावेजों की जप्ती नहीं की गयी है तथा वाहन स्वामी एवं चालक के द्वारा भी उक्त

दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बिना परमिट एवं फिटनेश के उक्त वाहन का चालन बीमा के शर्तो का उल्लंघन है, इस संबंध में उनके द्वारा बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदश ि एन.ए.–2 प्रस्तुत किया गया है ।

17- प्रश्नगत वाहन की बीमा पॉलिसी, आर.सी. एवं वाहन चालन का लाईसेंस के संबंध में कोई विवाद नहीं है परंतु जहॉ तक प्रश्नगत वाहन के परमिट एवं फिटनेश प्रपत्र का संबंध है, अनावेदक क्र. 1 व 2 के द्वारा उक्त प्रपत्र प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत वाहन के चालक अनावेदक क्र. 1 सूबेलाल ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह ग्राम बैहर तरफ से कवर्धा आते वक्त मोतीनाला से दो लोगों को बैठाकर ला रहा था, क्योंकि गाडी खाली आ रही थी । आगे उसने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि प्रश्नगत वाहन आर.टी.ओ. बालाघाट में टैक्सी के रूप में पंजीकृत था, जिसका उल्लेख रजिस्ट्रेशन प्रपत्र में है । आगे उसने यह भी स्वीकार किया है कि बीमा पॉलिसी में ही यात्री वाहन के रूप में उसका बीमा होना

उल्लेखित है तथा यह भी स्वीकार किया है कि टैक्सी वाहन के लिए परमिट एवं फिटनेश का होना आवश्यक है, जिसे उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

18- इस तरह अनावेदक क. 1 की स्वीकारोक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत वाहन न केवल टैक्सी के रूप में पंजीकृत था, बल्कि बीमा पॉलिसी, पैसेजर केयेरिंग कार्मिशियल व्हीकल के रूप में अनावेदक क. 2 के पक्ष में बीमित था तथा दुर्घटना तिथि को भी प्रश्नगत वाहन में दो यात्री सवार थे, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन का परमिट एवं फिटनेश का प्रभावी होना अनिवार्य है ।

19- अनावेदक क. 1 एवं 2 के द्वारा प्रश्नगत वाहन के उपरोक्त दस्तावेजों के प्रभावी होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है, न ही उक्त दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित पाया जाता है कि दुर्घटना तिथि को प्रश्नगत वाहन का परमिट एवं फिटनेश प्रपत्र प्रभावी नहीं था, जिसके बिना प्रश्नगत वाहन का चालन किया जाना, बीमा के शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है । इसलिए

दुर्घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न क्षति के लिए अनावेदक क्र. 3 को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है ।

20- परंतु, अनावेदक क्र. 1 द्वारा दुर्घटना तिथि को प्रश्नगत वाहन का लापरवाहीपर्वूक चालन करने के परिणामस्वरूप आवेदक को गंभीर चोट आना प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में निर्धारित किया जाता है कि **अनावेदक क्र. 1 एवं 2 संयुक्ततः एवं पृथकतः** आवेदक को दुर्घटना में आयी गंभीर चोट से उत्पन्न क्षति के लिए प्रतिकर अदा करने हेतु दायित्वाधीन है ।

21- अब यह प्रश्न है कि आवेदक को कितनी क्षतिपूर्ति राशि देय है? आवेदक का कथन है कि उक्त दुर्घटना में उसे गंभीर चोट आई थी जिसके कारण वह रायपुर के प्राईवेट अस्पताल में 10 दिन तक भर्ती था तथा उसके द्वारा अपने उपचार में 80,000 / —रू0 तथा दवाईयों में 20,000 / — रू0 व्यय किया गया है।

22- परंतु, आवेदक के द्वारा अपने उपचार से संबंधित कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसलिए उसके द्वारा

उपचार में 80,000 / — तथा दवाईयों में 20,000 / — व्यय किया जाना प्रमाणित नहीं होता । आवेदक के द्वारा अपने दवाईयों से संबंधित प्रदर्श ए—9 का दो मेडिकल बिल प्रस्तुत किया गया है, जिसके अवलोकन से आवेदक के द्वारा 1199 / — उपचार हेतु व्यय किया गया है, जिसे आवेदक को दिलाया जाना न्यायोचित होगा।

23- आवेदक ने दुर्घटना के समय अपनी आय के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः दुर्घटना के समय आवेदक की मासिक आय 4,500 / — रूपये निर्धारित की जाती है। आवेदक को गंभीर उपहति कारित हुई है इसलिये वह निश्चित रूप से 02 माह तक वह अपना कार्य करने में असमर्थ रहा होगा।

24- अतः उसे उक्त अवधि में हुये आर्थिक क्षति के लिये 9,000 / —रूपये तथा उपचार में व्यय की गई राशि 1199 / — रूपये एवं मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए 25,000 / — रूपये, परिवहन एवं आहार व्यय हेतु 10,000 / —रूपए, इस प्रकार कुल 45,199 / — रूपये (पैंतालिस हजार एक सौ निन्यांबे रूपये) क्षतिपूर्ति राशि दिलाया जाना

न्यायोचित पाया जाता है जो अनावेदक क्रमांक–1 एवं 2 द्वारा संयुक्ततः एवं पृथकतः आवेदक को देय होगा।

वादप्रश्न क्रमांक–4 सहायता एवं वाद–व्यय –

25- उपरोक्तानुसार आवेदक का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटर यान अधिनियम, 1988 अंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, और अनावेदक क्रमांक–1 एवं 2 के विरूद्ध निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता हैः–

1- अनावेदक क्रमांक–1 एवं 2, आवेदक को 60 दिवस के भीतर कुल 45,199/– रूपये (पैतालिस हजार एक सौ निन्यांबे रूपये) क्षतिपूर्ति राशि का भगुतान करेंगे, जो आवेदक एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से प्राप्त करेगा, यदि आवेदक को कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई हो, तो वह राशि उक्त क्षतिपूर्ति की राशि में समायोजित होगी।

2- अनावेदक क्रमांक—1 एवं 2 आवेदन प्रस्तुती दिनांक से धनराशि की अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी अदा करेंगे।

3- अनावेदक क्रमांक—1 एवं 2 स्वयं अपना तथा आवेदक का भी वाद—व्यय वहन करेंगे। अनावेदक क्र. 3 स्वयं अपना वाद व्यय वहन करेंगे ।

4- अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर 1,000/—रुपये देय होगी।

तदानुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

स्थान— कबीरधाम,
दिनांक—29.10.2019

मेरे निर्देश पर टंकित।

सही/—
(श्रीमती स्वर्णलता टोप्पो)
अति. मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण, कबीरधाम,(छ.ग.)

प्रतिलिपि–

1. आवेदक को सूचनार्थ।
2. अनावेदक क्रमांक–1 एवं 2 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सही / –

(श्रीमती स्वर्णलता टोप्पो)
अति. मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण, कबीरधाम, (छ.ग.)